

बिहार सरकार  
श्रम, संसाधन विभाग ।

कार्यालय आदेश संख्या- 24

पटना दिनांक- 22.10.2009

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्तर्गत संचालित विशेष विद्यालयों के पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारण हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है ।


- |    |  |   |            |
|----|--|---|------------|
| 1. | श्रमायुक्त, बिहार                          | - | अध्यक्ष    |
| 2. | संयुक्त श्रमायुक्त (प्रभारी बाल श्रमिक)    | - | सदस्य सचिव |
| 3. | परियोजना निदेशक, पटना                      | - | सदस्य      |
| 4. | बिहार शिक्षा परियोजना के प्रतिनिधि         | - | सदस्य      |
| 5. | गैर सरकारी- संगठन "सृष्टि" के प्रतिनिधि    | - | सदस्य      |
| 6. | गैर सरकारी- संगठन "प्रथम" के प्रतिनिधि     | - | सदस्य      |
| 7. | गैर सरकारी- संगठन "आजाद बचपन" के प्रतिनिधि | - | सदस्य      |
| 8. | गैर सरकारी- संगठन "एटसेक" के प्रतिनिधि     | - | सदस्य      |

समिति का कार्य एवं दायित्व

समिति द्वारा तीन माह के अन्दर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्तर्गत संचालित विशेष विद्यालयों के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुशांसा श्रम संसाधन विभाग को समर्पित करेगी ।

1. पाठ्यक्रम का निर्धारण
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण के Modules का निर्धारण
3. बिहार शिक्षा परियोजना से पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था ।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण ।


प्रस्ताव में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

  
(उपेन्द्र कुमार राय)

श्रमायुक्त, बिहार । 21/10/09

पटना, दिनांक 22-10-09

ज्ञापक- 1/सी0एल0-1025/2009श्र0सं0- 3803  
प्रतिलिपि- समिति के सभी सदस्य / राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
(उपेन्द्र कुमार राय)

श्रमायुक्त, बिहार ।

21/10/09